

नौकरियों में स्थानीय आरक्षण

प्रलिस के लयः

नौकरयों में स्थानीय आरक्षण, अनुच्छेद 14,16,19, [हरयऱणा राज्‍य स्थानीय उममीदवारों का रोजगार अधनऱयऱम, 2022](#), आंदोलन की स्वतंत्रता

मेन्स के लयः

नौकरयों में स्थानीय आरक्षण और नहऱतऱरथ

चर्चा में क्यऱँ?

पछऱले वर्षों की तुलना में नौकरयों में स्थानीय आरक्षण कानून के परणऱमस्वरूप राज्‍य को नई नऱवऱश परयऱोजनाएँ कम प्राप्‍त हुई हैं, जसऱकी वजह से राषट्र में नई नऱवऱश परयऱोजनाओं में राज्‍य की हसऱसेदारी पछऱले वर्ष के 3% से घटकर 2022-23 में 1.06% हो गई, जो छह वर्षों में सऱसे कम है ।

- हरयऱणा ने वर्ष 2022 की शुरुआत में [हरयऱणा राज्‍य स्थानीय उममीदवारों का रोजगार अधनऱयऱम, 2022](#) को लागू कऱया थऱ, जसऱमें 30,000 रुपए तक ढऱसकऱ वेतन वाली नऱजी क्षेत्र की नौकरयों में से 75% स्थानीय लोगों हेतु आरक्षणऱतऱ है ।

हरयऱणा राज्‍य स्थानीय उममीदवारों का रोजगार अधनऱयऱम, 2022:

परचऱयः

- इसके तहत 10 या अधकऱ कर्ढऱचारयऱँ वाली फर्ढों को 30,000 रुपए परतढऱह वाली सऱभी नौकरयऱँ में से 75% राज्‍य के अधऱवऱसी उममीदवारों के लऱयऱ आरक्षणऱतऱ करने की आवशऱकता है ।
- इन सऱभी नऱयऱकताओं के लऱयऱ शर्ढ ऱवढऱग, हरयऱणा की आधकऱरकऱ वेबसाइट पर उपलब्ध नऱढतऱ पोर्टल परसकल ढऱसकऱ वेतन या 30,000 रुपए से अधकऱ वेतन नहीं पऱने वाले अपने सऱभी कर्ढऱचारयऱँ को पंजीकृत करना अनऱवऱर्य होगा ।

अन्य राज्‍यों में कऱयऱ गए इसी परकऱर के परऱसः

- आंध्र परदेश, ढध्य परदेश और झऱरखंड सहऱतऱ अन्य राज्‍यों में भी नऱवऱसऱयऱँ के लऱयऱ रोजगार आरक्षण ऱधऱयक अथऱऱ कऱनूनों की घोषणा की गई है ।
- रोजगार कोटा ऱधऱयक के तहत आंध्र परदेश के नऱवऱसऱयऱँ के लऱयऱ तीन-चऱथाई नऱजी नौकरयऱँ आरक्षणऱतऱ हैं, जसऱे वर्ष 2019 में राज्‍य की ऱधऱनसऱढऱ ऱऱऱऱऱ अनुढऱदतऱ कऱयऱ गऱऱ थऱ ।

नौकरयऱँ में स्थानीय आरक्षण के लऱढ एवं नुकसऱनः

लऱढः

- संऱधऱनकऱ रूप से ढऱन्यः ढऱरतऱय संऱधऱन के अनुच्छेद 16 के तहत अधऱवऱस और नऱवऱस के आधऱर पर आरक्षण पर परतऱढऱध नहीं है । यह स्थऱनीय नौकरयऱँ में स्थऱनीय लोगों को पहले अवसर परऱदन करने के लऱयऱ संऱधऱनकऱ रूप से ढऱन्य परतऱतऱ होता है क्यऱँकऱ परऱथढकऱ तौर पर यहऱ लोग नौकरी सृजन करने वाली कंढनऱयऱँ के कारण पडने वाले सऱभी परतकऱल परढऱवऱँ को सहन करते हैं ।
- सढऱनतऱः स्थऱनीय नौकरयऱँ में आरक्षण सढऱज के सऱसे कमज़ोर वर्ग को सढऱनतऱ परऱदन करता है, क्यऱँकऱ आरक्षण केवल नढऱन सतऱर की नौकरयऱँ तक ही सीढतऱ है और यह ढऱरत के संऱधऱन के अनुच्छेद 14 के तहत कऱनून के सढऱन संरक्षण की ढऱऱऱऱ के अनुसऱर है ।
- ढेरोजगऱरी के लऱयऱ उपयुक्त सढऱधऱनः ढेरोजगऱरी और स्थऱरऱ रोजगार सृजन की सढऱसऱऱ को देखते हुए स्थऱनीय नौकरयऱँ में आरक्षण एक उपयुक्त सढऱधऱन है ।
- ढऱरत के संऱधऱन में अनुच्छेद 371D और E के तहत आंध्र परदेश और तेलंगऱना राज्‍यों के लऱयऱ उनकऱ ऱशऱष परसऱथतऱयऱँ को देखते हुए नौकरयऱँ और शकऱषऱ हेतु ऱशऱष परऱऱधऱन है । अतः ढेरोजगऱरी की स्थऱतऱऱ में स्थऱनीय नौकरयऱँ में आरक्षण उचऱतऱ और ढऱरत के संऱधऱन के ऱशऱष परऱऱधऱनों के अनुसऱर उपयुक्त परतऱतऱ होता है ।

- **स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** जब कंपनियों स्थानीय लोगों को काम पर रखती हैं, तो वे अपनी कमाई स्थानीय अर्थव्यवस्था में खर्च करती हैं, जो रोजगार पैदा करने और आर्थिक विकास में मदद कर सकता है।
 - स्थानीय लोगों को काम पर रखने का मतलब है कि कंपनियों को कर्मचारियों के स्थानांतरण का खर्च वहन नहीं करना पड़ेगा। यह उनकी परचालन लागत को कम करने में मदद कर सकता है, जैसे कम कीमतों के रूप में ग्राहकों पर डाला जा सकता है।
 - **उत्पादकता में सुधार:** स्थानीय कर्मचारियों की स्थानीय भाषा, संस्कृति और कारोबारी माहौल से परिचित होने की अधिक संभावना है, जो उनकी उत्पादकता और दक्षता में सुधार करने में मदद कर सकता है।
- **चर्चाएँ:**
- **नविशकों के पलायन में वृद्धि:** यह ऑटो, आईटी जैसे क्षेत्रों में बड़े घरेलू और बहुराष्ट्रीय नविशकों के पलायन को गति प्रदान कर सकता है जो अत्यधिक कुशल जनशक्ति पर निर्भर हैं।
 - हरियाणा के मामले में वर्ष 2022 में कया गया नविश लगभग 56,000 करोड़ रुपए से 30% गरिकर 39,000-करोड़ रुपए हो गया, स्थानीय आरक्षण कानून के कारण यह वर्ष 2022-23 में नई नविश परियोजनाओं के मामले में नौवें सर्वश्रेष्ठ राज्य से 13वें स्थान पर पहुँच गया।
 - **मौजूदा उद्योगों को प्रभावित करना:** राज्य के अन्य क्षेत्रों से राज्य में जनशक्ति संसाधनों की मुक्त आवाजाही को रोकने एवं स्थायी नविसियों के मुद्दे उठाने से राज्य में मौजूदा उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
 - यह तकनीकी दक्षिणों और अन्य उद्योगों को अपना आधार हरियाणा से दूसरे राज्यों में स्थानांतरित करने तथा राज्य के मौद्रिक संसाधनों को कम करने में भूमिका निभा सकता है।
 - **कुशल प्रतभा की कमी उत्पन्न कर सकता है:** गति और प्लेटफॉर्म कंपनियों पर आरक्षण लागू करने से प्रतभा की कमी हो सकती है।
 - **संवधान के विरुद्ध:** भारत का संवधान अनेक प्रावधानों के माध्यम से देश में कहीं आने-जाने की स्वतंत्रता और रोजगार की गारंटी देता है।
 - अनुच्छेद 14 जन्म स्थान पर ध्यान दयि बनिा कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है।
 - अनुच्छेद 15 जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रक्षा करता है।
 - अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में जन्मस्थान आधारित भेदभाव की गारंटी नहीं देता है।
 - अनुच्छेद 19 सुनिश्चित करता है कि नागरिक भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आ-जा सकते हैं।

आगे की राह

- आरक्षण नीतिको इस तरह से लागू किया जा सकता है जिससे देश में जनशक्ति संसाधनों के मुक्त आवागमन में बाधा न आए।
- राज्य में अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिये आरक्षण नीति की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है।
- यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कलिया गया कोई भी नीतित नरिण्य भारत के संवधान के अनुपालन में है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है।
- स्थानीय लोगों के लिये नौकरी (JRFL) हेतु विभिन्न राज्य सरकारों के पर्याप्तों का सबसे अच्छा तरीका आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना है और कौशल प्रशिक्षण तथा उचित शिक्षा के साथ युवाओं के लिये पर्याप्त नौकरी के अवसर प्रदान करना है, जो मुख्य क्षेत्रों के रूप में जनता को मुफ्त बाज़ार में प्रतसिपर्द्धा करने में सक्षम बनाता है।

स्रोत: द हट्टि